जिला मजिस्ट्रेट
02/16 श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 02/2016 पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्रीविजयनगर जरिये मुख्य प्रबन्धक श्रीगंगानगर बनाम 1—मैसर्स लक्ष्मी ईंट उद्योग प्रो0 श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री यशपाल 2—श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री यशपाल 3—श्री यशपाल पुत्र श्री सरदारीलाल निवासी हाउस न0 72 एल ब्लाक, वार्ड न0 6, श्रीविजयनगर 4—श्री ज्ञानचंद पुत्रश्री हरिचंद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21—02—2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री समिन्द्र सिंह उपस्थित है। उनके द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि अप्रार्थी मैसर्स लक्ष्मी ईंट उद्योग प्रो0 श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री यशपाल वगैरा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में श्रीमति उषादेवी एव श्री प्रदीपकुमार द्वारा बंधक रखी गयी सम्पति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण से ऋण राशि की वसूली हो चुकी है। इसलिए प्रार्थी बैंक प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया यह प्रा0 पत्र पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीविजयनगर के मुख्य प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स लक्ष्मी ईंट उद्योग प्रो0 श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री यशपाल वगैरा के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत हाउस न0 72 जो कि एल—ब्लॉक, वार्ड न0 6, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री समिन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना की गई है कि उनकी ऋण राशि वसूल हो चुकी है। इसलिए वे अब इस प्रा0 पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। यदि इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

चूंकि प्रार्थी बैंक की ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। इसलिए यह प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21—02—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर